संपूर्ण लक्ष्य

झारंखड के दो शहरों–रांची व हजारीबाग की चुनिंदा जगहों में सुरक्षित शहरी सार्वजनिक स्थलों और सेवाओं की कल्पना को साकार करना, जहां हर उम्र और समुदाय की महिलाएं और लड़कियां यौन उत्पीड़न व यौनिक हिंसा के डर और खतरे के बिना पहुंच सकें और अपने समान नागरिक अधिकारों का लाभ उठा सकें।

परियोजना/प्रोजेक्ट लक्ष्य स्थानीय भागीदारों के साथ विस्तृत और बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोणों को बढ़ाने में सहयोग करना, ताकि झारखंड के चुने गए शहरी इलाकों के विभिन्न क्षेत्रों पर महिलाओं व लड़कियों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न और यौनिक हिंसा को रोका जा सके और उसके खिलाफ़ प्रभावी तरीके से निपटा जा सके।

वांछित प्रमुख परिणाम

1. प्रमुख हितधारकों में इस वचनबद्धता को बढ़ाने के लिए काम करना कि वे महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु अपने प्रयासों में जेंडर समानता उपायों ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करेंगे
2. जेंडर समेकित उपायों और सेवाओं के बारे में चुनिंदा महिला समूहों तथा नागरिक समाज के भागीदारों की क्षमताओं को बढ़ाना ताकि महिला सुरक्षा को संबोधित किया जा सके और उनके समुदायों तक पहुंचा जा सके
3. महिला सुरक्षा के बारे में जन जागरूकता और शिक्षण बढ़ाने के लिए रचनात्मक प्रक्रियाएं शुरू करना

रांची व हजारीबाग, झारखंड, में सार्वजनिक स्थानों पर महिला हिंसा के बारे में अध्ययन (2014–2016)

इस अध्ययन में 1000 परिवारों के साथ सर्वे (रांची में 600 तथा हजारीबाग में 400 उत्तरदाताओं के साथ); 12 फ़ोकस ग्रुप चर्चाएं; 13 सुरक्षा परीक्षण (सेफ़्टी ऑडिट) तथा 14 प्रमुख हितधारकों के साथ साक्षात्कार शामिल हैं।इस अध्ययन को जागोरी की वेबसाइट पर पढ़ा जा सकता है।

मुख्य नतीजे/निष्कर्ष

» इस अध्ययन के आंकड़ों से साफ़ जाहिर होता है कि महिलाएं अपनी सुरक्षा और अधिकारों में कमी के कारण शिक्षा, काम, आवाजाही, सम्मानित जीवन व अपनी स्वायत्तता से वंचित हैं। 44 प्रतिशत से ज़्यादा महिलाओं ने मौखिक और प्रत्यक्ष उत्पीड़न के बारे में बताते हुए इन दोनों शहरों को असुरक्षित माना है

» महिलाएं लगातार उत्पीड़न के 'डर' से घिरी रहती हैं, 18–24 साल की महिलाएं सबसे ज़्यादा अरक्षित हैं और उन्होंने कभी न कभी यौन उत्पीड़न का सामना किया है

» जिन स्थानों पर यौन उत्पीड़न होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, उनमें सड़कें/मार्ग, बाज़ार स्थल/मॉल, ऑटो/बस स्टॉप और सार्वजनिक परिवहन के साधन शामिल हैं। रोशनी जैसी बुनियादी सुविधाओं की खराब स्थिति, भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक जगहों और खराब स्थिति वाले सार्वजनिक स्थानों के कारण डर का यह अहसास और बढ़ जाता है

» सार्वजनिक परिवहन साधनों (खासतौर से शेयर्ड ऑटो) को उत्पीड़न के बड़े अड्डे के रूप में देखा गया। महिलाओं ने सार्वजनिक जगहों पर लोगों के खामोश तमाशबीन बने रहने और कोई सहयोग न करने की शिकायतें भी कीं

» बहुत कम महिलाओं ने पुलिस सहायता ली

» लड़के और पुरुष एक के बजाय समूह में (असामाजिक गतिविधियों में शामिल) ज़्यादा उत्पीड़न करते दिखाई देते हैं

» 60 प्रतिशत सरवाइवरों ने परिवार के सदस्यों द्वारा उत्पीड़न के बारे में बताया

» जबकि दोनों ही शहरों के 95 प्रतिशत से ज़्यादा पुरुष उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें मालूम है कि यौन उत्पीड़न और अन्य प्रकार की यौनिक हिंसा कानूनन अपराध है, इस बारे में महिलाओं में जागरूकता कम थी

रणनीतिक/सामरिक रूपरेखा

उपर्युक्त निष्कर्ष के आधार पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक रूपरेखा तैयार की गई जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल थे

1. जेंडर संवेदनशील भौतिक संरचनाओं/बुनियादी सुविधाओं (जैसे, शहरी नियोजन और डिज़ाइन, बुनियादी सेवाओं के प्रावधान, परिवहन) के लिए पैरवी करना
2. महिलाओं व लड़कियों के लिए बेहतर सेवाएं (जैसे उत्तरदायी व सक्रिय पुलिस सेवा, काउंसलिंग व अन्य सहायक सेवाओं, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स सहित)
3. महिलाओं और लड़कियों पर होने वाली हिंसा को सामान्य मान लेने वाली मानसिकता और व्यवहारों को बदलने के लिए जागरूकता फैलाना

प्रमुख नीति और कार्यक्रम सुझाव

1.शहरी नियोजन और सार्वजनिक स्थलों की रूपरेखा (डिज़ाइन)

» एक समेकित और जेंडर–संवेदी डिज़ाइन के माध्यम से शहर के हर हिस्से तक सुरक्षित संपर्कता को सुनिश्चित करना

» चौड़े सड़कों का डिज़ाइन तैयार करना और सभी महिलाओं की सुगमता के लिए फुटपाथों की रचना

» महिला ऑटो व रिक्शा चालकों के लिए शौचालयी सुविधाओं के साथ–साथ पार्किंग स्थलों का निर्माण ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके

» महिला श्रमिकों के लिए विशिष्ट रूप से सुलभ शौचालयों का निर्माण, जिनमें गर्भवती और विक्लांग महिलाओं के लिए भी सुविधाएं हों

» प्रमुख मार्ग चौराहों पर पुलिस चैक पोस्ट तैयार करना ताकि ज़रूरत पड़ने पर महिलाएं उनकी सुगमता से मदद ले सकें

2. शहरी बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान और प्रबंधन

» सड़कों और उनके किनारे, खासतौर से शैक्षिक संस्थानों और अनौपचारिक क्षेत्र मज़दूरों के काम की जगहों के आसपास रोशनी के बेहतर प्रावधान

» पीने के पानी और साफ़–सफ़ाई की बेहतर सेवाओं के प्रावधान जिनमें महिला मज़दूरों के लिए माहवारी स्वच्छता का भी ख्याल रखा गया हो

» सुरक्षित दुकानदारी और बाज़ार स्थल जिनमें रेलवे स्थल और सड़कों के किनारे लगने वाले बाज़ार भी शामिल हैं

3. सार्वजनिक परिवहन और संबंधित सेवाएं

» व्यापक आउटरीच वाले सार्वजनिक परिवहन साधनों की, खासतौर से महिलाओं, विद्यार्थियों और निम्न आय वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए

» महिलाओं और विक्लांगों के लिए पर्याप्त और लगातार मिलने वाली सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की उपलब्धता

» सार्वजनिक जगहों पर यौन उत्पीड़न के बारे में ड्राइवरों, कंडक्टरों, ऑटो–ड्राइवरों और ट्रैफ़िक पुलिस के साथ नियमित प्रशिक्षण आयोजित करना और बताना कि ऐसी घटना होने पर किन सहायता प्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है

» समुचित रोशनी और सुरक्षा वाले पर्याप्त पार्किंग स्थलों का निर्माण

» परिवहन सुविधाओं में होने वाले यौन उत्पीड़न की समस्या को संबोधित करने के लिए नियम मसौदे (प्रोटोकोल) और प्रतिक्रिया प्रणालियां विकसित करना तथा सभी सार्वजनिक परिवहन साधनों में पुलिस व महिला हैल्पलाइन नंबरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करना

4. जेंडर समावेशी पुलिस व्यवस्था

» महिला थानों की संख्या बढ़ाने के लिए योजना तैयार करना

» यह सुनिश्चित करना कि ज़्यादा अरक्षित स्थानों पर पी.सी.आर. वैन द्वारा नियमित रूप से गश्त लगाई जाए

» यह सुनिश्चित करना कि एक सुरक्षित माहौल तैयार हो और महिला नागरिकों में भरोसा और आत्मविश्वास उत्पन्न हो

» यौन उत्पीड़न के बारे में हर स्तर पर पुलिस अधिकारियों को जेंडर संवेदनशील बनाना

» यह सुनिश्चित करना कि महिला हैल्पलाइन और एफ़.आई.आर. तथा अन्य शिकायत दर्ज किए जाने से जुड़ी सेवाओं का संचालन प्रभावी ढंग से हो

5. सरवाइवरों/पीड़ितों के लिए कानूनी, न्याय और सहायता

» महिलाओं की कानूनी सहायता सेवाओं तकसमयबद्ध पहुंच/सहयोग

» यौन उत्पीड़न और महिला हिंसा के बारे में आपराधिक न्याय प्रणाली में संबद्ध अधिकारियों का प्रशिक्षण

» महिला–सापेक्ष काउंसलिंग तथा सहायता सेवाओं, ट्रांज़िट होम्स आश्रय गृहों, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटरों तक पहुंच बढ़ाना

» यह सुनिश्चित करना कि सभी संस्थानों में यौन उत्पीड़न शिकायत समितियां प्रभावी तरीके से काम करें और जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समितियों तक अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिला श्रमिक आसानी से पहुंच सकें

6. शिक्षा

» स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों/सत्रों में जेंडर समानता, यौन उत्पीड़न, महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा जैसे विषयों को शामिल किया जाए

» यौन उत्पीड़न और महिला हिंसा को खत्म करने के लिए रोकथाम उपायों तथा प्रभावी सहयोग के बारे में विद्यार्थियों और उनके माता–पिता/अभिभावकों के साथ अभियानों तथा स्टडी सर्कलों के माध्यम से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना

» नियंत्रक मर्दानगी के विभिन्न रूपों और महिलाओं व लड़कियों के साथ होने वाली यौनिक हिंसा को संबोधित करने की मुहिम में युवा पुरुषों तथा लड़कों को भी साथ जोड़ना

» सभी शैक्षिक संस्थानों में यह जानकारी फैलाना कि पुलिस हैल्पलाइन, आश्रय घरों और कानूनी सहायता सेवाओं तक वे कैसे पहुंच सकते हैं

7. नागरिक जागरूकता और भागीदारी

» जागरूकता और संवेदनशीलता अभियान

» पुरुषों/महिलाओं के द्वारा यौनिक उत्पीड़न पर तर्क–वितर्क/बहस आयोजित करना और ऐसे प्रतिकूल सामाजिक मानदंडों पर आवाज़ उठाना जो महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाते हैं

» सार्वजनिक स्थानों तथा निजी क्षेत्रों में होने वाले यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर हस्तक्षेप करते हुए खामोश दर्शकों, समुदायों और परिवार के सहयोग को बढ़ाना

8. शोध, संप्रेषण और सूचना तकनीक

» सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में नियमित शोध अध्ययन, सुरक्षा जांच/ऑडिट्स और समूह चर्चाएं आयोजित करना

» सोशल मीडिया और जन प्रचार माध्यमों के द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रमुख निष्कर्षों/नतीजों को जारी/प्रचारित/संप्रेषित करना

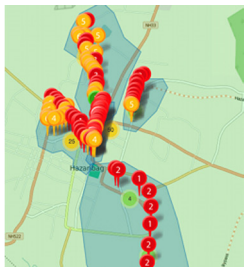

भागीदार

शोध भागीदार

यह संयुक्त अध्ययन ओक फ़ाउंडेशन के सहयोग से जागोरी, न्यु कॉन्सेप्ट इन्फ़ॉरमेशन सिस्टम्स व सेफ़्टी पिन द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एण्ड डेवलेपमेंट पॉलिसी (आईटीडीपी), सृजन फाउंडेशन, प्रेरणा भारती, एकल नारी सशक्ति संगठन (ईएनएसएस), महिला मुक्ति संस्थान, प्रदान, ब्रेकथ्रू, महिला सामाख्या, महिला अदालत की प्रतिनिधि, घरेलू कामगारों व महिला यौन कर्मी समूह की सहभागिता से किया गया है।

कार्यक्रम भागीदार

असोसिएशन फ़ॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशियेटिव्स, सेंटर फ़ॉर हैल्थ एंड सोशल जस्टिस, एकल नारी शक्ति संगठन, इंस्टीट्यूट फ़ॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डवलपमेंट, महिला समाख्या व सृजन फ़ाउंडेशन

जागोरी

जागोरी महिलाओं का एक संदर्भ, प्रशिक्षण एवं डॉक्युमेंटेशन केंद्र है, और यह एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की सामूहिक प्रक्रिया में सहयोग देने की सोच द्वारा निर्देशित है। जागोरी का उद्देश्य बड़े पैमाने पर भागीदारों और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के हाशियाबद्ध महिला नेतृत्वों के साथ मिलकर महिला अधिकारों के समर्थन में नारीवादी सोच को और गहराई से फैलाना है। जागोरी के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप हमारी वेबसाइट www.jagori.org, www.safedelhi.in पर संपर्क कर सकते हैं।

जागोरी दिल्ली कार्यालय

बी–114, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017
फ़ोनः + 92–11–26691219/20, टेलिफ़ेक्सः +92–11–26691221
जागोरी हैल्पलाइनः 92–11–26692700, 8800996640
ई–मेलः Jagori@jagori.org, वेबसाइटः www.jagori.org, www.safedelhi.in

जागोरी झारखंड कार्यालय

C/O: शीलवंती सुरेन, प्रथम मंज़िल, चिशायर होम रोड,
निकटः पूनम स्वीट हाऊस, शशि विहार, बरियातु, रांची– 834009, झारखंड
टेलिफ़ोनः 08800229555, ई–मेलः safecities.jharkhand@jagori.org

झारखंड–रांची व हजारीबाग में महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित सार्वजनिक जगहों की रचना

जागोरी महिला संदर्भ केंद्र